प्रेस नोट दिनाँक 15.04.2021

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को सकुशल संपन्न कराने हेतु अभियुक्तों के विरूद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में गुण्डा गर्दी करने वाले 11 व्यक्तियों के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(i). प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री सुभाषचंद्र चौरसिया द्वारा अभियुक्त 1. सुनील पुत्र राजेश 2. कुलदीप पुत्र नरेश 3. कोलाई पुत्र श्यामलाल 4. भोला पुत्र माधव कोल निवासीगण उचाडीह 5.छोटू पंडित उर्फ आशीष पुत्र राधेश्याम 6.रामू पुत्र लक्ष्मी प्रसाद 7.विधाता पुत्र नंदा कोल 8. दिनेश पुत्र भोला नाई 9.राजनारायण पुत्र कोदूराम निवासीगण चमरोहा मानिकपुर 10.अभय उर्फ रिंकू पुत्र प्रेम सिंह निवासी ऊँचाडीह थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110जी सीआरपीसी की कार्यवीही की गयी।

(ii). प्रभारी निरीक्षक बहिलपुरवा श्री दीनदयाल सिंह द्वारा अभियुक्त रामसिया पुत्र सुकरू निवासी ठीका पुरवा थाना बहिलपुरवा जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 110 जी सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी।

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को दृष्टिगत रखते हुये अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजय जायसवाल तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त रोहित उर्फ राहुल पुत्र रामप्रसाद निवासी पथरौड़ी थाना कोतवाली कर्वी को 20 अदद क्वार्टर देशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कोतवाली कर्वी में धारा 60 आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा पंजीकृत किया गया।

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. चौकी प्रभारी शिवरामपुर श्री अजय जायसवाल
2. मुख्य आरक्षी शिवनरेश
3. आरक्षी अरविन्द

(3). चित्रकूट पुलिस द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले 01 अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त को गिरफ्तार किया-

पुलिस अधीक्षक चित्रकूट महोदय के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री अवधेश कुमार मिश्रा द्वारा आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए चुनाव में जीतने एवं मतदाताओं को लुभाने हेतु तथा अपने पक्ष में वोट देने को लेकर महिलाओं बालिकाओं को चूडियां एवं प्रसाद बांटने वाले अभियुक्त शिवचरण उर्फ राजू अवस्थी पुत्र स्व0 बच्छराज अवस्थी निवासी ग्राम भानपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को गिरफ्तार किया गया।

उल्लेखनीय हैं कि कल दिनाँक-14.04.2021 ग्राम पंचायत भानपुर में प्रधान पद प्रत्यासी शिवचरण उर्फ राजू अवस्थी पुत्र स्व0 बच्छराज अवस्थी निवासी ग्राम भानपुर थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट लोधनपुरवा में बालिकाओं एवं महिलाओं को चूडियां प्रसाद वितरित कर अपने पक्ष में वोट करने की अपील करने की सूचना पर उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना पहाड़ी में एनसीआर नं0 34/2021 धारा 171(ड.) भादवि0 पंजीकृत किया गया। प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी तथा उनकी टीम द्वारा जांच के दौरान अभियुक्त शिवचरन उर्फ राजू अवस्थी उपरोक्त को लोधनपुरवा में लोगों को उसकी शिकायत करने के लिये अनाप शनाप बोल रहा था जिसपर प्रभारी निरीक्षक द्वारा समझाया गया नहीं माना और ज्यादा तेज स्वरों में वार्तालाप करने लगा शांति

व्यवस्था भंग होने के आशंका पर अभियुक्त शिवचरन उर्फ राजू अवस्थी को धारा 151/107/116 सीआरपीसी के अन्तर्गत गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।
अपील-
चित्रकूट पुलिस आप सभी से अपील करती है कि किसी भी प्रकार से आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न करें किसी प्रलोभन या लालच में ना आए निर्भीक होकर स्वतंत्ररूप से मतदान करें।

(4). उ0प्र0 शासन द्वारा नारी सुरक्षा, नारी सम्मान, नारी स्वालंबन, महिला कल्याण एवं बाल विकास के लिए चलाये जा रहे मिशन शक्ति अभियान के अन्तर्गत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में दिनांक 15.04.2021 को महिला थाना एंटी रोमियों टीम द्वारा कर्वी क्षेत्र के विभिन्न मंदिर काली माता मंदिर, दुर्गा मंदिर, संतोषी माता मंदिर में भ्रमण कर श्रद्धालुओं को मास्क लगाने व सोशल डिस्टेन्सिंग बनाये रखने हेतु जागरूक किया, एण्टी रोमियो टीम थाना मऊ द्वारा आनन्दी माता मंदिर में बस स्टैण्ड मंदिर, बाजार रोड में भ्रमण कर, एंटी रोमियो टीम थाना भरतकूप द्वारा कस्बा राजापुर में, एंटी रोमियो टीम थाना राजापुर में कस्बा राजापुर में भ्रमण कर, एण्टी रोमियो टीम थाना मारकुण्डी द्वारा आर्यावर्त बैंक मारकुण्डी में, एंटी रोमियो टीम थाना बरगढ़ द्वारा ग्राम सेमरा, धुनैहा व रेलवे स्टेशन में महिलाओं/बालिकाओं को वीमेन पावर लाइन 1090, महिला हेल्पलाइन 181, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076, पुलिस आपातकालीन सेवा 112, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, स्वास्थ्य सेवा 102, एम्बुलेंस सेवा 108 एवं अपने-अपने थाना के सीयूजी नम्बर के बारें में विस्तृत जानकारी देकर जागरूक किया साथ ही मास्क लगाने एवं कोविड-19 के नियमों का पालन करने हेतु बताते हुये कोरोना वैक्सीन के प्रति जागरुक किया गया। एण्टी रोमियों टीम की महिला आरक्षियों द्वारा बालिकाओं को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी दी गयी। एण्टी रोमियो टीम के सदस्यों द्वारा छात्राओं/बालिकाओं से उनके साथ घटित किसी भी प्रकार की समस्याओं के बारें में पूछा गया एवं आवश्यकता पड़ने पर सम्बन्धित थाना प्रभारी/एण्टी रोमियों टीम प्रभारी व उ0प्र0 पुलिस द्वारा संचालित महिलाओं/बालिकाओं/छात्राओं हेतु चलाये जा रहे नम्बरों पर काल करने हेतु कहा गया।

(5). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट, क्षेत्राधिकारी मऊ व क्षेत्राधिकारी नगर/राजापुर के नेतृत्व में थाना/चौकी प्रभारियों ने पुलिस टीम के साथ अपने-अपने क्षेत्र में पैदल गस्त/रूट मार्च कर ग्रामीणों से जनसंवाद कर निर्भीक एवं स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया गया। सभी से अपील की गयी कि आदर्श आचार संहिता का पालन करें, अवैध शराब का सेवन बिल्कुल न करें एवं अवैध कार्य करने वालों की सूचना पुलिस को दे।

(6). पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद चित्रकूट के निर्देशन में कोरोना महामारी के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत रखते हुये सीएफओ श्री यतीन्द्रनाथ के मार्गदर्शन में दिनाँक-15.04.2021 को अग्निशमन की टीमों द्वारा फायर बिग्रेड के माध्यम से जिला न्यायालय परिसर कर्वी, तहसील परिसर कर्वी, जिलाधिकारी महोदय आवास, अधिवक्ता चैम्बर न्यायालय को सेनेटाइज किया गया।

इसी क्रम में प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी एवं थाना भरतकूप के मार्गदर्शन में थाना पुलिस द्वारा परिसर को सेनेटाइज कराया गया।

(7). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत दिनाँक-15.04.2021 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में श्री रामप्रकाश उपजिलाधिकारी कर्वी, श्री संजय उपाध्याय प्रभारी निरीक्षक भरतकूप द्वारा थाना भरतकूप अन्तर्गत ग्राम टिटिहरा में, श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा क्षेत्र की ग्राम चर, बसिला, कुई अकबरिया, गढ़वारा में एवं श्री राधाकृष्ण तिवारी चौकी प्रभारी गनीवा द्वारा ग्राम गौहानी कलां एवं हरदौली में प्रत्याशियों के साथ चौपाल की गयी। चौपाल के दौरान सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने हेतु बताते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार का लोभ-प्रलोभन न देने, शराब, रुपया आदि का वितरण न करने के बारे में हिदायत दी गयी। मतदान व मतगणना के समय किसी के साथ कोई विवाद, धमकी तथा विजय जुलूस न निकालने हेतु हिदायत दी गयी। बिना किसी भेदभाव एवं पक्षपात के वोट डालने एवं पूर्णतः कानून व्यवस्था बनाए रखते हुए मतदान संपन्न कराने हेतु पुलिस का सहयोग करने की अपील की गयी। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए मास्क लगाने, हाथों को समय-समय पर सेनेटाइज करने तथा सोशल डिस्टेन्सिंग बनाए रखने हेतु बताया गया।

(16). त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के दृष्टिगत पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन श्री सुभाषचन्द्र चौरसिया प्रभारी निरीक्षक थाना मानिकरपुर के नेतृत्व में ग्राम रानीपुर एवं गिदुरहा में, श्री सुशीलचन्द्र शर्मा प्रभारी निरीक्षक थाना रैपुरा के नेतृत्व में ग्राम सिंहपुर घुरहेटा, धान में, श्री रमेशचन्द्र प्रभारी निरीक्षक थाना मारकुण्डी द्वारा ग्राम छेरिहा खुर्द, जारोमाफी, गोपीपुर करौंहा में भ्रमण कर एरिया डोमिनेशन व फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च के दौरान सभी प्रत्याशियों से आदर्श आचार संहिता का पूर्णतः पालन करने हेतु बताते हुए मतदाताओं को किसी प्रकार का लोभ-प्रलोभन न देने, शराब, रुपया आदि का वितरण न करने के बारे में हिदायत दी गयी। जनता से निर्भीक होकर बिना किसी के दबाव के स्वतंत्र रूप से मतदान करने हेतु बताया किसी भी प्रकार के अवैध कार्यों की सूचना पुलिस को अवश्य दे। अवैध शराब का सेवन न करने की अपील की तथा आचार संहिता का पालन करने हेतु बताया। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण के दृष्टिगत महोदय द्वारा मास्क का प्रयोग करने, सेनेटाइजर का प्रयोग कर सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करने की अपील की।